राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

रामेश्वर बनाम रूपचन्द

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	963/2017	
16/12/2025	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता अपीलार्थी की आंशिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। पत्रावली निरन्तर बहस हेतु दिनांक 19/12/2025 को पेश हो।	
19/12/2025	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता अपीलार्थी की सम्पूर्ण मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। पत्रावली अधिवक्ता रेस्पो. की मौखिक/लिखित बहस हेतु दिनांक 22/12/2025 को पेश हो।	
22/12/2025	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता रेस्पो. की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। अधिवक्ता अपीलार्थी की बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 23/12/2025 को पेश हो।	
23/12/2025	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा लोक अदालत की भावना से प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 17/05/2017 पारित करते हुए तहसीलदार चाकसू को वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 5728, 5729, 5736, 5761, 5762, 5764 से 5774, 5776, 5777, 5779 से 5781, 5789 किता 23 रकबा 2.15 हैक्टेयर वाके ग्राम चाकसू तहसील चाकसू का तकासमा मीट्स एण्ड बाउन्ड्स के आधार पर आबादी भूमि को मध्य नजर रखते हुए किये जाने के आदेश प्रदान किये गये। जिसकी अनुपालना में तहसीलदार चाकसू द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रेषित किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बाद सुनवाई मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 11/10/2017 पारित कर दी गयी। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा इस न्यायालय के समक्ष अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 11/10/2017 के विरुद्ध यह अपील प्रस्तुत की गयी। जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक हहस पत्रावली पर सुनी गयी। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में पत्रावली का मय अपीलाधीन निर्णय व डिक्रीयो का अवलोकन किये जाने से अपीलाधीन निर्णय व डिक्री के माध्यम से किया गया विभाजन विधिसम्मत प्रतीत होता है। विधि अनुसार एवं खातेदार के काश्तकारी अधिकारों के मध्यनजर सहखातेदारान के मध्य विभाजन एक आवश्यक प्रक्रियां है, जिसे अपीलार्थी द्वारा उठाये गये तकनीकी बिन्दुओ के	

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

रामेश्वर बनाम रूपचन्द

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	आधार पर निरस्त किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अत: अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 11/10/2017 यथावत रखा जाकर अपील अपीलार्थी ख़ारिज की जाती है।	
	पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।	
	निर्णय आज दिनांक 23/12/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।	